तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./3182/2004/हनुमानगढ मालचन्द बनाम हनुमान प्रसाद	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री गोविन्द शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.04.2022

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या–17/1996 बउनवानी मालचन्द व अन्य बनाम हनुमानप्रसाद व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 ने प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध सहायक कलक्टर, नावां के न्यायालय में मूल वाद के साथ मौजा नांवा की सरहद स्थित आराजी खसरा नम्बर 835 रकबा 0.84 हैक्टयर भूमि में से प्रार्थीगण की 0.56हैक्टयर भूमि बाबत् उनके कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने एवं खसरा नम्बर 835 की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष प्राप्त करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र दिनांक 23–1–1996 को प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त वादीगण अप्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनकर आदेश दिनांक 23–01–1996 से आगामी तारीख पेशी तक के लिए खसरा नम्बर 835 रकबा 0.84हैक्टयर भूमि में से प्रार्थीगण की 0.56हैक्टयर भूमि बाबत् यथास्थिति बनाये रखने का अन्तरिम आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16–4–2004 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार का तर्क है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में एक ओर विवादित आराजी के खसरा नम्बर 835 का रकबा 0.84हैक्टयर में अपना 0.56 हैक्टयर तक हिस्सा मानकर विभाजन होना कहते है तो दूसरी ओर विवादित भूमि को संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना मानते है। यदि विवादित आराजी संयुक्त खतोदारी की मानी जावे तो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./3182/2004/हनुमानगढ मालचन्द बनाम हनुमान प्रसाद	नम्बर व तारीख

संयुक्त खातेदारी की भूमि पर किसी भी सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि भूमि का विधिवत् विभाजन न हो जाये। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश से संयुक्त खातेदारी की भूमि पर निषेधाज्ञा जारी कर दी जो अन–एग्जूटेबल आदेश है और अधीनस्थ न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण विचारण न्यायालय को दोनों पक्षों की सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करना चाहिए था। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क है कि वादीगण ने जिस भूमि के सम्बन्ध में मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया वह पृथक रूप से अंकित है। विक्रेतागण पहले ही वर्ष 1988 में विभाजित हो चुके थे। अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। सहखातेदारी की भूमि बाबत् भी उचित परिस्थिति विद्यमान होने पर निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी तक के लिए अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी निगराकार के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23–1–1996 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि खसरा नम्बर 835 की यथास्थिति बनाये रखे। इस अन्तरिम आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के यहां अपील प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 16–4–2004 को खारिज की गयी। उस आदेश के विरूद्ध मौजूदा निगरानी पेश की गयी है, जो अन्तरिम आदेश की अपील का निर्णय है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि खसरा नम्बर 835 में दोनों पक्ष सह–स्वामी है और जिनका प्रत्येक भाग पर हिस्सा होता है जब तक की विधिवत् उसका बंटवारा नहीं हो जाता है। मौजूदा निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निर्णय की निगरानी है व मूल प्रार्थनापत्र धारा 212 का निर्णय होना शेष है। चूकि यह प्रकरण 26 वर्ष पुराना हो चुका है। हालांकि इस निगरानी में मण्डल स्तर पर कोई स्थगन आदेश तो जारी नहीं हुआ है परन्तु विचारण न्यायालय का मूल प्रार्थनापत्र पत्रावली अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को यहां तलब किया गया है, जिससे स्वतः ही विचारण न्यायालय की कार्यवाही स्थगित हो गयी है। जो आदेश आगामी पेशी तक था, उसे 26वर्ष व्यतित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./3182/2004/हनुमानगढ मालचन्द बनाम हनुमान प्रसाद	नम्बर व तारीख

हो चुके है। अन्तरिम यथास्थिति के आदेश की अपील पर अपील करने से इतना समय व्यतित हो गया है अन्यथा मूल प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ही या मूल वाद का ही निस्तारण हो सकता था। न्याय में देरी न्याय इन्कारी के समान है और प्रक्रिया का किस प्रकार दुरूपयोग होता है यह उसका उदाहरण है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश दिनांक 23–1–1996 में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–4–2004 में हस्तक्षेप का भी कोई आधार नहीं होने से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नावां को निर्देशित किया जाता है कि वे पत्रावली प्राप्ति उपरान्त एक माह में उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर विधिसम्मत् आदेश पारित करें।

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे सहायक कलक्टर, नावां के न्यायालय में दिनांक 17–5–2022 को उपस्थित हो।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख अविलम्ब भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य